उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-2
संख्या:45/2023001-2371224(2)/12-2099/117/2021
लखनऊ : दिनॉक: 24 अप्रैल, 2023

शुद्धि-पत्र

शासनादेश संख्या-35/2023/001-2371224/12-2099/117/2021, दिनांक 18 अप्रैल, 2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण-101-मृदा संरक्षण तथा परीक्षण-05-जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रूपये 402.00 लाख के सापेक्ष रूपये 201.00 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के मानक मद-29-अनुरक्षण में प्राविधानित धनराशि रूपये 10.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रूपये 5.00 लाख के स्थान पर त्रुटिवश रूपये 6.00 लाख अंकित हो गया है, जबकि उक्त योजनान्तर्गत मानक मद-29-अनुरक्षण में प्राविधानित धनराशि रूपये 10.00 लाख के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि रूपये 5.00 लाख है।

कृपया शासनादेश दिनांक 18 अप्रैल, 2023 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। शेष नियम व शर्ते यथावत रहेंगी।

रामप्रीत प्रसाद
अनु सचिव।

संख्या:45/2023001-2371224(3)/12-2099/117/2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ।
4. अपर कृषि निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
रामप्रीत प्रसाद
अनु सचिव।